न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/54

1. हजारी लाल आयु 55 वर्ष पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी ढाणी ब्राहाम्णान तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री विजयपाल, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 19.01.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही करते हुए अपीलान्ट की जमीन खसरा नम्बर 99 सरहद मौजा ढाणी ब्राहाम्णान तहसील सुरजगढ़ में से 0.03 हैक्टयर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिनांक 24.02.2021 पारित किया है जबकि न्यायालय नायब तहसीलीदार द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया व अपीलान्ट की तामील प्रयाप्त मानने में भी नायब तहसीलदार ने कानूनी गलती की है क्योंकि तामीली रिपोर्ट सशपथ नही है एवं तथाकथित तामील कुनिन्दा अपीलान्ट के घर किस तारीख को व किस समय पर गया दर्ज नही है तथा न्यायालय का चस्पानगी का कोई आदेश नही है, बल्कि तामील कुनिन्दा अपीलान्ट के घर नही गया और ना ही अपीलान्ट के घर पर कोई नोटिस चस्पा किया, नोटिस पर तथाकथित गवाहान की सकुनत दर्ज नही है इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ नायब तहसीलदार ने एकक्षीय कार्यवाही गलत रूप से कर निर्णय दिनांक 24.02.2021 पारित किया जो काबिले खारिज था किन्तु उक्त बिन्दुओं पर प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू ने भी कोई गौर नही कर विधि की भूल करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2022 पारित किया जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है क्योंकि अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि तथाकथित अतिक्रमण की लम्बई चौड़ाई दर्ज नही है, जमीन जैर बहस खसरा नम्बर 99 को लेकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में लम्बित है, राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 99 गैर मुमकीन रास्ते का अंकन गलत किया गया, जिसकी दुरूस्ती के लिये उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के न्यायालय में दावा

P.T.O.

उनवानी मदनलाल वगैरह बनाम राजस्थान सरकार पेश हुआ, उक्त दावा दिनांक 23.12.1998 को विड्रो के आधार पर खारिज हुआ और दिनांक 05.12.2005 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के आदेश दिनांक 25.11.2005 के क्रम में पुनः दर्ज हुआ, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के आदेश दिनांक 25.11.2005 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निगरानी संख्या 472/2006 झुन्झुनू उनवानी उमेद सिंह वगैरह बनाम मदनलाल वगैरह लम्बित है जिसमें दिनांक 27.01.2006 को अग्रिम कार्यवाही नही करने हेतु स्थगन आदेश पारित किया गया है जो अस्तित्व में है। इस प्रकार आदेश जैर बहस पारित होने के रोज प्रकरण सबज्यूडीस रहा है जिसकी जानकारी अधीनस्थ नायब तहसीलदार को रही है इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार ने गलत रिकार्ड के आधार पर निर्णय दिनांक 24.022021 पारित करने में तथ्य व विधि की भूल कारित की है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा भी बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2022 पारित किया है जो काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सुरजगढ़ द्वारा पारित निर्णिय दिनांक 24.02.2021 एवं जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.01.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा अथवा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त गैर मुमकिन रास्ते की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अपना क्लीयर टाईटल प्रस्तुत नही किया गया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के बिन्दु संख्या 6 में किसी प्रयोजन या लोक उपयोग के कार्य के लिये प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि को प्रतिबन्धित भूमि माना गया है एवं उक्त अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ते के दर्ज है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण के रूप में काश्त की गई फसल को हटाकर निलामी की कार्यवाही दिनांक 01.04.2021 एवं मौके पर से दिनांक 06.01.2022 को पुलिस जाप्ता के साथ रास्ता खुलवा भी दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2022 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनु द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2022 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19/1/23

संभागीय आयुक्त
जयपुर।